



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर

OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVERNMENT NAVEEN GIRLS COLLEGE BALRAMPUR

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

DISTRICT - BALRAMPUR-RAMANUJGANJ (C.G.)

Email ID- prigngc2021@gmail.com

AISHE Code - C-68024

Mob. 6260370089

क्रमांक 293/ स्था./ 2025

बलरामपुर, दिनांक : 04.11.2025

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर के सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र, पदों के विरुद्ध अध्यापन हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदक दिनांक 12.11.2025 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

प्राचार्य
Principal

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर
Govt. Naveen Girls College Balrampur
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर

OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVERNMENT NAVEEN GIRLS COLLEGE BALRAMPUR

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

DISTRICT - BALRAMPUR-RAMANUJGANJ (C.G.)

Email ID- prnggc2021@gmail.com

AISHE Code - C-68024

Mob. 6260370089

क्रमांक 293 / स्था. / 2025

बलरामपुर, दिनांक: 23.07.2025 04/11/25

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक / 289 / 01 / आउशि / राज.स्था. / 2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 के परिपालन में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार महाविद्यालय में सत्र 2025-26 हेतु सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, किंडाधिकारी के रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 12.11.2025 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

01 अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीडाधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीडा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

02 आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।

अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडाधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल

सहायक/क्रीडा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

03 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता छ.ग. शासन के नियमानुसार दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :-

क्र.	अध्ययनशाला एवं विषय	रिक्त पद एवं संख्या			अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक/अतिथि ग्रंथपाल सहायक के कुल रिक्त पद
		प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	
1	भौतिकशास्त्र	00	00	01	01
	योग	00	00	01	01

टीप- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 04 आवेदक के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम फिल/पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 05 दिनांक 12.11.2025 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभवित होगा।
- 06 अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- 07 प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 14.11.2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। महाविद्यालयों की वेबसाइट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
- 08 गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 17.11.2025 तक होगी।
- 09 अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 18.11.2025 को किया जावेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट www.ggcbarampur.ac.in एवं सूचना पटल में किया जायेगा।
- 10 आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।
- 11 आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- 12 अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमिति करण का आधार नहीं होगा।
- 13 अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय/मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षक सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/-	300/-
2	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- 41600/-प्रतिमाह अधिकतम	1200/- 30000/- प्रतिमाह अधिकतम
(ब) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500/-	350/-
4	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- 50000/- प्रतिमाह अधिकतम	1400/- 35000/- प्रतिमाह अधिकतम
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा अधिकारी सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/- 40000/-प्रतिमाह अधिकतम	1200/- 30000/- प्रतिमाह अधिकतम

- 14 आवेदक निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर एवं आवेदित विषयपद आवश्यक रूप से लिखें।
- 15 इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
- 16 संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
- 17 इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 18 कक्षाओं के संचालन के साथ साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा-गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
- 19 यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु प्राप्त नहीं होंगे।



प्राचार्य

Principal

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बलरामपुर
Govt. Navin Girls College Balrampur
जिला बलरामपुर, रामानुजपुर (म.प्र.)
Dist. Balrampur, Ramanaipur (M.P.)